संख्या- 996/एक-10-2021-33(8)/2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 17 जून, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में पीएसी की बाढ़ राहत कम्पनियों को मोटर-बोट्स एवं उपकरण आदि क्रय किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पीएसी मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांकःपीएसी-तीन-807/2019/639 दिनांक 24.05.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पीएसी की बाढ़ राहत कम्पनियों को मोटर-बोट्स एवं उपकरणों आदि के क्रय किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से रू0 5,47,28,500/-का धनावंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के दृष्टिगत पीएसी को मोटर-बोट्स एवं उपकरण आदि क्रय किये जाने हेतु **राज्य आपदा मोचक निधि से वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 5,47,28,500/- (रूपये पाँच करोड़ सैंतातिस लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि** निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0 सं0	उपकरण का नाम	दर प्रति यूनिट(रू0 में)	कुल व्ययभार (रू0 में)
1	17 बाढ़ राहत कम्पनियों को त्वरित गति से बचाव राहत कार्यों हेतु प्रति कम्पनी एक अदद के दर से कुल 07 अदद जेट बोट का क्रय	29,14,285/-	2,04,00,000/-
2	निष्प्रयोज्य घोषित 08 अदद फाइबर ग्लास मोटर बोटों के स्थान पर नये बोट्स का क्रय	12,60,000/-	1,00,80,000/-
3	निष्प्रयोज्य घोषित 17 अदद रबराईज्ड इन्फ्लेटेबुल बोट के स्थान पर नये बोट्स का क्रय	5,00,000/-	85,00,000/-
4	निष्प्रयोज्य घोषित 04 अदद एल्युमिनियम बोट के स्थान पर नये बोट्स का क्रय	21,00,000/-	84,00,000/-
5	निष्प्रयोज्य घोषित 07 अदद ओबीएम इंजन के स्थान पर नये ओबीएम इंजन का क्रय	5,25,000/-	36,75,000/-
6	निष्प्रयोज्य घोषित की गयी लालटेन की कमी की सम्पूर्ति हेतु 411 सोलर लालटेन का क्रय	6,000/-	24,66,000/-
7	निष्प्रयोज्य घोषित की गयी बैट्रियों की कमी की सम्पूर्ति हेतु 12 बोल्ट की 161 अदद बैट्रियों का क्रय	7,500/-	12,07,500/-
कुल			**5,47,28,500/-**
(रूपये पाँच करोड़ सैंतातिस लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ मात्र)			

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्त पुस्तिका/

वितीय नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा। गृह विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

(2) जो भी उपकरण क्रय किये जायेंगे उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण इस प्रकार के न हों, जो किसी विशिष्ट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्रय किये जा रहे हों। उपकरण सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सहपठित तथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार/जेम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायेंगे। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 भी करायी जायेंगी।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-+11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वितीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- **उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू0 5,47,28,500/- (रूपये पाँच करोड़ सैंतातिस लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।**

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः- 996(1)/एक-10-2021-33(8)/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- पुलिस महानिदेशक, पीएसी उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।